न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	76/2012
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2012/01440
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	13.08.2012
निर्णय दिनांक	01.02.2021

उनवान

(1)श्री श्यामलाल पि.गोकल वगैरह कुम्हार नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) श्री नन्दा पि.किशना कुम्हार वगैरह नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री मुनीर गनी शेख
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
खातोला	2073-2076	86	64	0.15
			65	0.15
			70	0.28

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
खातोला	62	0.35	
	63	0.31	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:34 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक[illegible] व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक[illegible] नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थ[illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नो[illegible]ब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये हुये है। वकील प्रार्थीगण को बार-बार हिदायत दिये जाने के बावजूद भी उनके

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 के नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किये जाने से तामिल कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2019 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। वकीव प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 के नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं करने तथा पर्चा मौका तहसीलदार आसीन्द के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 एंव 2 के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड नहीं होने एंव आवेदित रास्ते की भूमि के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से तदनुसार प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण आवेदित रास्ता की भूमि के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने तथा अप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 के सम्मन तलवाना वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं करने से अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा
(सी.एल.शर्मा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:34 IST
Reason: SelfAttested